विमुद्रीकरण की अवधारणा तथा उससे होने वाली लाभ एवं हानियाँ

डॉ. मो. तारिकूर रहमान
अतिथि प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
एम.के.एस. कॉलेज, त्रिमुहान चंदौना,
दरभंगा (बिहार)

सार–संक्षेप

विमुद्रीकरण एक क्रांतिकारी एवं अप्रत्याशित कदम है, इसकी अल्पकालिक लागतें हैं, किन्तु दीर्घकालिक लाभ भी हैं। सरकार ने नवंबर 8, 2016 की शाम अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर निहितार्थों से भरी एक ऐतिहासिक घोषणा की। तुरन्त प्रभाव से, कुछ एक कार्यों को छोड़कर, दो उच्चतम मूल्य के रू. 500/और रू. 1000 नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। ये नोट अब विधिमान्य करेंसी नहीं रहे। एक झटके में अर्थव्यवस्था के परिचलन की 86 प्रतिशत मुद्रा अवैध घोषित हो गई। ये नोट दिसंबर 30, 2016 तक बैंकों में जमा कराए जाने थे। भारत का यह कदम इसके अपने इतिहास की दृष्टि से अभूतपूर्व नहीं है : पहले भी दो बार, 1946 और 1970 में विमुद्रीकरण किए गए है, किन्तु 1970 के कदम का नकदी की सफलभता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

परिचय

विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया हैं जिसके तहत किसी देश के सरकार अपने देश की किसी मुद्रा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती हैं, प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। उस मुद्रा से किसी प्रकार की खरीद–बिक्री, लेन–देन, और उसे संचित करना भी अपराध माना जाता है। मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार एक समय सीमा तय करती हैं, जिसके अंदर लोग प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उसके बदले उतने ही मूल्य के अन्य वर्ग के प्रचलित नोट या फिर नए जारी किए गए नोट ले सकते है। अगर तय समय सीमा के अंदर जिस प्रतिबंधित मुद्रा को बदला नहीं जाता है या फिर उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो वे सभी नोट कागज के टुकड़े या रद्दी हो जाते है।

किसी देश की सरकार द्वारा देश में प्रचलित विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों में से किसी खास वर्ग या वर्गों को प्रतिबंधित करने के कई बड़े कारण होते है। इस प्रकार के प्रतिबंध के संबंध में सबसे खास बात यह है कि सामान्यतः प्रतिबंध बड़े मूल्य वर्ग के नोटों पर लगाया जाता है। जैसे कि भारत में 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया, जो देश में प्रचलित नोटों में सबसे बड़े मूल्य वर्ग के नोट थे। विमुद्रीकरण के कारणों में सबसे प्रमुख है देश के अर्थव्यवस्था में काले धन और जाली मुद्रा का विनाशकारी भूमिका। जब किसी देश में लोग टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से नगद लेन–देन ज्यादा करने लगते हैं, तब मुद्रा की जमाखोरी बढ़ जाती है और फिर यही जमाखोरी धीरे–धीरे काले धन के रूप में उस देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में काला धन देश की अर्थव्यवस्था कर मुख्यधारा से बाहर हो जाता है, जिससे नगदी संकट की समस्या पैदा होने लगती है। अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से काले

धन के रूप में मुद्रा के बाहर होने से न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। यह काला धन ही देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध, हवाला कारोबार और तस्कारी का मुख्य पोषक बन जाता है। साथ ही दुश्मन देश इसी आपराधिक गतिविधियों की आड़ में देश में जाली मुद्रा को भारी मात्रा में झकझोर, देश की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बनाने कि साजिश रचते है।

इन सब गतिविधियों के लिए जमाखोरी बड़े मूल्य वर्ग के नोटों में की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि देश में कालेधन का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2016 तक देश में 16.42 लाख करोड़ रूपये मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जिसमें से 14.18 लाख करोड़ रूपये 500 और 1000 मूल्य वर्ग के थे, यानि कुल नोटों में से 500 और 1000 मूल्य वर्ग के नोटों की हिस्सेदारी 86 फिसदी थी, परन्तु आरबीआई के आंकड़े कहते है कि इन बड़े मूल्य वर्ग के नोट बाजार में सिर्फ 24 फीसदी ही थे, यानि कि बचे हुए 76 फीसदी बड़े मूल्य वर्ग के नोटों को जमाखोरी कर काले धन में परिवर्तित कर दिया गया था।

दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था जाली नोटों की बढ़ती संख्या से भी त्रस्त था, अनुमान लगाया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण से पूर्व लगभग 400 करोड़ रूपए के जाली नोटों का प्रवाह था। यानि प्रति 10 लाख नोटों में 250 जाली नोट थे। इतना ही नहीं, नइ जाली नोटों के भंडार में प्रति 70 करोड़ का इजाफा भी हो रहा था। इन जाली नोटों में से 50 फीसदी से अधिक केवल 1000 मूल्य वर्ग के नोट ही थे और बाकि 500 मूल्य वर्ग के थे। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का खोखला होते जाना लाजिमी था। अंततः जरूरी था कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बनते जा रहे काले धन और जाली नोटों के खेल पर करारा प्रहार हो सके। देश की वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लिया गया विमुद्रीकरण का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक सफल प्रयास कहा जा सकता है।

भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास

ऐसा नहीं है कि भारत की वर्तमान सरकार द्वारा विमुद्रीकरण पर लिया गया फैसला पहला फैसला है। इससे पहले भी देश में विमुद्रीकरण का चाबुक चल चुका है। पहला बार वर्ष 1946 में 500, 1000 और 10,000 मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। आगे के दिनों में प्रत्यक्ष कर की जाँच करने के लिए गठित वांचू कमिटी ने 1970 के दशक में काले धन को बाहर लाने और उसे नष्ट करने के लिए सरकार को विमुद्रीकरण करने की सलाह दी थी, परन्तु इस संबंध में सरकार जब तक अंतिम फैसला करती, उससे पहले ही सरकार द्वारा विमुद्रीकरण करने की योजना का खुलासा हो गया और काला धन रखने वाले सतर्क हो गए। तत्कालीन सरकार को अंततः विमुद्रीकरण की योजना को रद्द करना पड़ा।

वर्ष 1970 में आपातकाल हटने के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाना पड़ा और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने जनवरी 1978 में 1000, 5000 और 10000 मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया, हालांकि रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर आई जी

पटेल ने सरकार के इस कदम का समर्थन नहीं किया था। अब एक बार फिर देश की वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने बड़े मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण कर काला धन पर प्रहार किया है। इस बार सरकार के फैसले के साथ रिलर्व बैंक भी हैं। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने सरकार के कदम को साहसिक बताया था। हालांकि आर्थिक जगत में सरकार के इस कदम पर एकराय नहीं है। कई विशेषज्ञ विमुद्रीकरण को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बता रहे हैं तो कई का मानना है कि काला धन निकालने एवं उसे नष्ट करने की सरकार की मंशा इससे पूरी नहीं होगी। देश के विरोधी दलों ने भी सरकार के विमुद्रीकरण के कदम को अनुचित बताया है।

विमुद्रीकरण के फायदे

काले धन पर करारा प्रहार– विमुद्रीकरण का सबसे करारा चोट काले धन के कुबेरोंपर पड़ा है, अनुमान लगाया गया था कि देश में लगभग 3 लाख करोड़ रूपये काले धन के रूप में छिपा हुआ है। इन रूपयों का आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध, हवाला कारोबार और तस्कारी गतिर्विधियों में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा था। कश्मीर में जारी हिंसा में भी काला धन मुख्य भूमिका निभा रहा था। देश की सियासत में काला धन लंबे समय से मुद्दा रहा ह। अंततः विमुद्रीकरण कर जब इस पर प्रहार किया गया तो माना जा रहा है कि काले धन पर पूर्ण तो नहीं परन्तु इसके सम्राज्य पर लगभग 80 से 90 फीसदी प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

आतंकवाद, नक्सलवाद और अपराधिक गतिविधयों पर चोटः– विमुद्रीकरण के चोट से आतंकवाद गुटों, नक्सली समूहों, नशे के कारोबारियों सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को करारा आघात पहुँचा है। इसका स्पष्ट प्रभाव कश्मीर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ इन समूहों द्वारा जमा किए गए नोटों के बंडल कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गए वहीं नए नोटों के अभाव में इनकी गतिविधियाँ ठप पड़ गई।

कर संग्रह में बढ़ोत्तरीः– सरकार ने विमुद्रीकरण से पहले और विमुद्रीकरण के दौरान काले ध्न को छिपाकर रखने वालों को राहत देते हुए कहा था कि वे अपने धन का खुलासा कर नियम के अनुसार टैक्स चुका कर मुख्यधारा में आ सकते है। इसका असर हुआ। बहुत सारे लोगों ने राहत का फायदा उठाया और जो छिपे रहे उनमें से कईयों के ठिकाने पर एजेंसियों ने छापा मारकार उन्हें पकड़ा और नगदी को जब्त किया। अब तक की सरकारी रिपोर्ट के अनंसार विमुद्रीकरण के बाद टैक्स कल्क्शन में 14.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो चुकी हैं। विमुद्रीकरण के बाद अनुमान लगाया गया है कि इस कदम से सरकारी खाते में लगभग3 लाख करोड़ रूपये साथ ही 65 हजार करोड़ रूपये विभिन्न करों के माध्यमों से भी आने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि ये आँकड़े अभी अनुमानित है। ये अनुमान से कहीं अधिक भी हो सकते है। इतनी भारी–भरकम रकम आने से सरकार आधारभूत ढ़ाँचे में निवेश करेगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगा।

ब्याज दर में कमीः– विमुद्रीकरण के बाद काले धन के एक बड़े भाग का अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में आने से बैंकों में डिपोजिट बढ़ेंगे। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नगदी आने से वे कर्ज का प्रवाह बढ़ाएंगे। कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए लाजमी हो जाएगा कि वे कर्ज पर ब्याज दर में कटौती करे। ऐसा होने से

जहाँ व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, वहीं पिछले दो सालों से मंदी की मार झेल रहे रियल्टी सेक्टर में उछाल आएगा। परिणामस्वरूप मकानों की बिक्री बढ़ने के साथ सस्ते घर का भी सपना पूरा होने की उम्मीद है।

विमुद्रीकरण से होने वाली हानियाँ

1. विमुद्रीकरण के दौर में देश के पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। उस दौरान देश में स्थानीय मुद्रा की कमी से विदेशी पर्यटकों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। समस्या को देखते हुए भारत आने वाले पर्यटकों ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। परिणामस्वरूप देश का पर्यटन उद्योग मंदी की चपेट में आ गया। कहा जा रहा है कि मंदी का यह दौर अभी कुछ और समय तक चल सकता है।[6]
2. विमुद्रीकरण के साइड इफेक्ट का देश की जीडीपी पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा होना भी स्वभाविक है। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था में अचानक आए भूचाल के समान था। इससे अर्थव्यवस्था में सुस्ती का आना भी स्वभाविक है। परन्तु यह ठहराव थोड़े समय के लिए है। बेहतर भविष्य के लिए थोड़ा बहुत नुकसान कोई मायने नहीं रखता।

निष्कर्ष

विमुद्रीकरण के बाद सरकार के हिसे में आए रकम से सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाएगी और पहले से चल रही योजनाओं के बजट में भी वृद्धि कर सकेगी। सरकार ने इसके संकेत भी दे दिए है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जिस प्रकार मकानों के निर्माण के तय लक्ष्य और कम ब्याज के साथ मकान निर्माण के लिए दिए जाने वाले आर्थिक सहायता को बढ़ाया गया है, उससे सरकार की भविष्य के प्रति मंशा स्पष्ट होती है। विमुद्रीकरण के बाद सरकार की मुद्रा योजना को बल मिलेगा। नरेन्द्र मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को बैंकों से अभी पूरा सहयोग नहीं मिल रहा था। इसकी वजह थी बैंकों के पास नगदी का संकट। परन्तु अब जब बैंकों में नगदी का प्रवाह बढ़ा है तो बैंक व्यवसायिक गतिविधियों में ऋण का प्रवाह बढ़ाएंगे। इससे औधेगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और परिणामस्वरूप रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी। विमुद्रीकरण के दौरान कैश की किल्लत ने देश के लोगों को एक बड़ा सबक दिया और वह था कैशलेस पेमेंट की मजबूरी। आज वही मजबूरी देश के लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। कल तक जो पेमेंट लोग कैश में देना चाहते थे, आज वही लोग डिजिटल पेमेंट की वकालत कर रहे है। देश में अगर यह ट्रेंड जोर पकड़ता है तो यहाँ आईटी सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। दूसरी तरफ कैशलेस अर्थव्यवस्था में कालेधन की संभावनाओं पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय का फायदा लेकर ही आता है, कोई विशेष नुकसान नहीं।

संदर्भ स्रोतः—

1. कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2016, पृ. 21
2. योजना, फरवरी 2017, पृ. 49
3. हिन्दुस्तान, समाचार पत्र, 19 नवम्बर, 2016, पृ. 12.
4. योजना, फरवरी 2017, पृ. 37
5. द टाईम्स ऑफ इंडिया, दिसम्बर, 2016, पृ. 04.
6. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र, जनवरी 2017, पृ. 06.